1/2/2023 पत्रावली प्रार्थी एडवोकेट द्वारा कहकर के प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र अधि. तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थना पत्र के संदर्भ में मूल वाद संख्या 290/2018 अमानी बुद्धि बनाम जीगा के माननीय न्यायालय ने 31/3/2023 को अंतरिम धारणा अवधि के पक्ष में जारी कर दिया था। जिसकी आज्ञाप्ति प्रार्थी को मिलते ही प्रार्थना पत्र 0.9 R.8 का पेश कर दिया अपील किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना प्रार्थनीय है। कहकर अग्रिम अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी के पक्ष में वाद संख्या 290/2018 अंतरिम धारणा के जारी किया गया था। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपील किया नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना प्रार्थनीय है। पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन तथा कहकर कथन किया गया। प्रार्थी के पक्ष में वाद संख्या 290/2018 में 31/3/2023 को [illegible] के द्वारा अंतरिम धारणा जारी किया गया था। [illegible] के अतः [illegible] पर लेने हेतु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र 0.9 R.8 का [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:52:54 IST
Reason: SelfAttested

अनुपालना के क्रमांक व दिनांक	कार्यवाही विवरण
	1/3 CrPC वाद प्रस्तुत किये जाने आदेश दिनांक 31/3/2021 को प्रस्तुत किया। प्रार्थी की प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा प्रकरण संख्या 290/2018 अन्तर्गत धारा 420 जीआरपी के मूल नम्बर पर लिया जाता है तथा पत्रावली बैठक अनुसार घोड़ा नगर के अन्दर है व क्षेत्रीय क्षेत्र है तथा मूल प्रकरण संख्या 290/2018 दिनांक [illegible] है तथा प्रार्थना पत्र मूल प्रकरण के साथ [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:52:54 IST
Reason: SelfAttested